राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम–193/88)/अलेसे –III/6333-42 दिनांक :– 18.9.14.

कार्यालय आदेश

श्री महावीर प्रसाद, क0 लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना (नागौर) के विरूद्व पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या 02/2009 (धारा 409, 120बी आईपीसी पुलिस थाना, डीडवाना) में इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 6301 दिनांक 18.09.2014 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा श्री महावीर प्रसाद, क0 लेखाकार वर्तमान पदस्थापन कार्यालय कोषालय, चूरू को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इन्हें निलम्बन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, अजमेर में किया जाता है जहां वे नियमित रूप से उपस्थिति देगें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम–193/88)/अलेसे –III/6333-42 दिनांक :– 18.9.14.

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. महानिरीक्षक, पुलिस अजमेर रेंज, अजमेर।
2. पुलिस अधीक्षक, नागौर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, चूरू।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना (नागौर)
5. श्री महावीर प्रसाद, क0 लेखाकार (लिंक नं0 4849) कोषालय, चूरू।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार, शाखा अलेसे–III
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)
9. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)